राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः चिप्र/2018/213 दिनांकः 03.05.2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः— चिकित्सा संस्थानों में सरकारी क्वाटर्स में आवास बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सकों के आवास हेतु राजकीय आवास (Government Quaters) उपलब्ध है, जो कि वहॉ पदस्थापित चिकित्सकों के लिये ईयर—मार्कड है। अधो हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि चिकित्सक सरकारी क्वाटर्स में निवास नही करते है, तथा आस पास के क्षेत्र में मकान किराये पर लेकर रह रहे है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजकीय प्रावधान स्वीकृत करवाये जाकर सरकारी क्वाटर्स का निमार्ण करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप राजकीय आवासों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध/निर्मित सरकारी क्वाटर्स में चिकित्सकों का निवास करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें, तथा जब भी आप क्षेत्र में भ्रमण पर जावें, तो यह भी सुनिश्चित करें कि वहॉ पर उपलब्ध सरकारी आवास में चिकित्सक निश्चित रूप से निवास कर रहा है अथवा नही। अगर कोई चिकित्सक राजकीय आवास उपलब्ध होने के उपरान्त भी किराये के मकान में आवास करता हो तो ऐसे चिकित्सकों को मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) का भुगतान नही किया जावें। उक्त निर्देशों की पालना कडाई से सुनिश्चित करा कर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

3.5.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन—राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशो की पालना सुनिचित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को सभी सम्बधिंत को मेल कर विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करावें।

3.5.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।